

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर घड़साना
पीतासीन अधिकारी :- अभिलाषा आर.एस. कैम्प कोर्ट : ग्राम पंचायत.....ड.।.।.।.

-: आदेश :-

दिनांक : 23.11.21

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का.....ड.।.।.।. एवं
भू-अभिलेख निरीक्षक.....।.।.।. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार.....।.।.।. /
नायब तहसीलदार..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम।.।.।. तहसील
.....।.।.।. जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत्.....2076 में
खाता सं. में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध
किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता सं.	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	2	3	4	5
1	।.।.।.-A	20	रूक -OB।.।.।.	रूक -FNB खाता ।.।.।.

(अभिलाषा)

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

क्रमांक/रीडर/प्र.गां.सं.अ./2021/4567-69
प्रतिलिपि:-

दिनांक : 23.11.21

1. तहसीलदार घड़साना/रावला को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रार्थी श्री ।.।.।., ।.।.।., ।.।.।. को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। ।.।.।.

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना